

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 589/2023  
अनवान : -

1. विनय कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी रानिया रोड़ गांधी कॉलोनी सिरसा  
- वादी

**बनाम्**

1. अनिल कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी दड़ोल हाल फेफाना तहसील नोहर।
2. अजय कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी रानिया रोड़ महात्मा गांधी कॉलोनी सिरसा।
3. नमता पुत्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी लेहरियान, फतेहबाद।
4. रेखा सिंधु पुत्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी हिसार जिला हिसार।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 5 बी बरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 179/145 के खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 4.6960 है0 भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है तथा वयोवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विन



उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की तरफ से इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं० 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है जो की पूर्व में हमारे पूर्वजो के नाम थी अतः वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी सं० 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 179/145 के खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 4.6960 है० भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष


उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 179/145 के खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 4.6960 है0 भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 589/2023

अनवान : -

1. विनय कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी रानिया रोड़ गांधी कॉलोनी सिरसा  
- वादी

बनाम्

1. अनिल कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी दड़ोल हाल फेफाना तहसील नोहर।
2. अजय कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति जाट निवासी रानिया रोड़ महात्मा गांधी कॉलोनी सिरसा।
3. नमता पुत्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी लेहरियान, फतेहबाद।
4. रेखा सिंधु पुत्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी हिसार जिला हिसार।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 589 सन 2023 निर्णय दिनांक 18/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 179/145 के खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 4.6960 है० भूमि में से 2/5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/10/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर